राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग

20/198, कावेरी पथ, सेक्टर–2, मानसरोवर, जयपुर
फोन नं.– 0141.2399335 2399336 ई–मेल – dcr.raj@rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ 20(9) (2)बा.अ.वि./कि न्या अ/किन्याबोर्ड./मनोनयन पार्ट/21/8336 जयपुर दिनांक 02/06/2021

विज्ञप्ति

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 के अन्तर्गत देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के मामलों की जॉच एवं निपटान हेतु निम्न वर्णित जिलों में गठित **बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष एवं सदस्य** पद हेतु सामाजिक कार्यकर्ताओं से निम्नानुसार आवेदन आमंत्रित किये जाते हैः–

क. सं.	जिले का नाम	बाल कल्याण समिति में रिक्त पदों का विवरण
1	झुंझुनू	01 अध्यक्ष व 04 सदस्य, (जिसमें से 01 महिला)
2	डूंगरपुर	01 अध्यक्ष व 03 सदस्य (जिसमें से 01 महिला)
3	श्रीगंगानगर	01 अध्यक्ष
4	अजमेर	01 सदस्य

इसी प्रकार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 4 के तहत विधि से संघर्षरत बच्चों के मामलों की जॉच, सुनवाई एवं निपटान हेतु निम्न वर्णित जिलों में गठित **किशोर न्याय बोर्ड में सदस्य** पद हेतु सामाजिक कार्यकर्ताओं के आवेदन आमंत्रित किये जाते हैः–

क. सं.	जिले का नाम	किशोर न्याय बोर्ड में रिक्त पदों का विवरण
1	प्रतापगढ, झुंझुनू	प्रत्येक बोर्ड में 02–02 सदस्य (जिसमें से 01 महिला)
2	बारां, चूरू, सवाई माधोपुर, जालौर	प्रत्येक बोर्ड में 01–01 महिला–सदस्य
3	डूंगरपुर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर	प्रत्येक बोर्ड में 01–01 सदस्य

उक्त वर्णित जिलों में बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष/सदस्य एवं किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य पद के लिए अपेक्षित अर्हताएं/योग्यताएं एवं आवेदन करने के लिए सामान्य दिशा–निर्देशों की जानकारी एवं आवेदन पत्र वेब साईट www.sje.rajasthan.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र को निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरकर एवं आवश्यक संलग्नकों सहित दिनांक 05 जुलाई, 2021 तक संबंधित जिले के जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय में जमा कराया जा सकता है।

(महेश चन्द्र शर्मा)
आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव
एवं
सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय चयन समिति

क्रमांकः एफ 20(9) (2)बा.अ.वि./कि न्या अ/किन्याबोर्ड./मनोनयन पार्ट/21/8337 - 8397 जयपुर दिनांक 2/6/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं अतिशीघ्र कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
3. प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, गृह/विधि/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई, ...।
6. माननीय अध्यक्ष/सदस्य, राज्य स्तरीय चयन समिति, राजस्थान, जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
8. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को उक्त विज्ञप्ति विभागीय बेवसाइट पर प्रदर्शनार्थ।
9. उपनिदेशक (प्रचार) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. उपनिदेशक/सहायक निदेशक/लेखाधिकारी, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
11. सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, संबंधित को प्रेषित कर लेख है कि बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के लिए आवेदकों से आवेदन–पत्र 02–02 प्रतियों में प्राप्त कर, 01 प्रति जिला कार्यालय रिकॉर्ड में संधारित करें। बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड हेतु पृथक–पृथक प्राप्त समस्त आवेदन–पत्रों की निर्धारित प्रारूप में सूचना संकलित कर आवेदनों की मूल प्रति मय संलग्नक दिनांक **12 जुलाई, 2021** तक विशेष वाहक द्वारा निदेशालय भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
12. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक